

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 फरवरी 2022—माघ 22, शक 1943

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2022

क्र. एफ 1-6-2022-1-उनसठ.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए स्वशासी शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सेवा (शिक्षकीय संवर्ग) भरती नियम, 2010 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, स्वशासी शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सेवा (शिक्षकीय संवर्ग) भरती नियम, 2022 बनाती हैं :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वशासी शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सेवा (शिक्षकीय संवर्ग) भरती नियम, 2022 है।
- (2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्तियों के, जो इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को, अनुसूची-दो के कॉलम-(2) में वर्णित पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों, के संबंध में कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी;
- (ख) "स्वशासी संस्था" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश फर्म्स एवं सोसाइटी एक्ट, 1973 के अधीन स्वशासी संस्था के रूप में पंजीकृत कोई शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय;
- (ग) "आयोग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या शासन द्वारा पदाभिहित कोई एजेन्सी;
- (घ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश;

- (ड.) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)" से अभिप्रेत है, कोई नागरिक जो संविधान के अनुच्छेद-341 एवं 342 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना दिनांक 26.12.1984 द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं;
- (च) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम-10 के अंतर्गत भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;
- (छ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (ज) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (झ) "राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय स्तर की होम्योपैथी नियामक निकाय;
- (ञ) "भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय स्तर की आयुर्वेद एवं यूनानी नियामक संस्था;
- (ट) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाए;
- (ठ) "पदोन्नति समिति" से अभिप्रेत है, स्वशासी शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों में, इन नियमों के अधीन पदोन्नति से भरती के लिए अनुसूची-चार में विहित की गई पदोन्नति समिति;
- (ड) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूचियां;
- (ढ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (ण) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (त) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय (शिक्षकीय संवर्ग) सेवा;
- (थ) "सोसायटी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी आयुष महाविद्यालय की रजिस्ट्रीकृत सोसायटी।
3. विस्तार तथा लागू होना.—

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.—

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्—

- (एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों पर किसी स्वशासी शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी महाविद्यालय की स्वशासी संस्था के इन पदों को मूलतः धारण कर रहे हों।
- (दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व, मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग की सेवा में तत्समय लागू नियमों के अनुसार भरती किए गए हों और महाविद्यालयों के स्वशासीकरण के उपरांत सेवा में सम्मिलित कर लिये गये हों।
- (तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—

सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची—एक में दिये गये उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु सरकार स्वशासी महाविद्यालयों की अनुशांसा के आधार पर सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर स्थायी अथवा अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. भरती का तरीका.—

- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—
- (क) सीधी भर्ती द्वारा,
- (ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,
- (ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद मूलतः धारण करते हों जैसा कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए,
- (घ) शासकीय/स्वशासी सेवा के व्यक्ति द्वारा दिये गए विकल्प के आधार पर उस व्यक्ति का सेवा में संविलियन के द्वारा,
- (2) उप नियम (1) के खण्ड "ख" के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये सेवा की किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिये, जिनको कि कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित है, अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या सरकार द्वारा प्रत्येक अवसर पर अवधारित की जायेगी।
- (4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, सेवा में भरती के उन तरीकों से भिन्न, जो उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट हैं, ऐसा तरीका अपना सकेगी जो इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा विहित किया जाये।
- (5) विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार उपरोक्त विनिर्दिष्ट उपबंध में सरकार द्वारा छूट प्रदान की जा सकेगी।

7. सेवा में चयन.—

सेवा में चयन, सरकार द्वारा अवधारित रीति से किया जायेगा। ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम—06 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके से की जायेगी, अन्यथा नहीं।

(1) चयन समिति.—

चयन समिति अनुसूची—तीन के उपबंधों के अनुसार होगी।

(2) स्थानांतरण.—

स्वशासी सेवकों को समान सामर्थ्य में एक स्वशासी संस्था से दूसरी स्वशासी संस्था में स्थानांतरित किया जा सकेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी.—

(एक) प्रधानाचार्य की नियुक्ति की शक्ति सरकार की होगी।

(दो) प्राध्यापक, रीडर तथा व्याख्याता की नियुक्ति का अधिकार स्वशासी महाविद्यालय को होगा।

8. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें.—

चयन किए जाने की पात्रता के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(1) आयु—

(क) चयन के प्रारंभ होने की तारीख को उसने अनुसूची-तीन के कालम (4) में दर्शाई गई आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम उतनी अवधि की छूट दी जा सकेगी जितनी कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार तत्समय लागू हो।

(ग) ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में भी जो मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी :-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक है, को उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जा सकेगी।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी पद धारण कर रहा हो और अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, को उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष की छूट दी जा सकेगी। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी अनुज्ञात होगी।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

स्पष्टीकरण— पद "छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" से अभिहित है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की अथवा किसी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन पत्र देने की तारीख से, तीन वर्ष से अधिक पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से, उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— पद “भूतपूर्व सैनिक” से अभिहित है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा हो और जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजित होने हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी कर दी गई थी या जिसे अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित कर दिया गया था :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो सेवानिवृत्त रियायतों के अधीन मुक्त किए गए हैं,
 - (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दोबारा भरती किया गया है और जिन्हें (क) अल्प अवधि के अनुबंध पूर्ण हो जाने पर (ख) भरती की शर्तें पूर्ण कर लेने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया है,
 - (3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी,
 - (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन्ड अधिकारी भी आते हैं) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया है,
 - (5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य कर लेने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है।
 - (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि वे दक्ष सिपाही बनने के योग्य नहीं हैं,
 - (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने, घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया है,
- (ड.) महिलाओं के लिये तथा विधवा एवं परित्यक्ता अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा में उतनी छूट दी जायेगी जितनी मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार तत्समय लागू हो,
- (च) आदिम जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (छ) “विक्रम पुरस्कृत” धारण करने वाले खिलाड़ी अभ्यर्थियों को भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (ज) मध्यप्रदेश राज्य निगमों/मण्डलों के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (झ) उच्चतर आयु सीमा में स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन-कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि तक जो कि 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन होगी, छूट दी जाएगी।

टिप्पणी:-

- (1) अन्य अभ्यर्थियों को, जिन्हें उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु सीमा में रियायत के अधीन चयन के लिए ग्राह्य किया गया है, इस स्थिति में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। यदि वे आवेदन करने के बाद चयन के पूर्व या पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की जाये, तो वे नियुक्ति के लिए पात्र बने रहेंगे।

- (2) किसी भी अन्य दशा में, आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी।
 (3) शासकीय/स्वशासी सेवारत अभ्यर्थियों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।

(2) शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता एवं अनुभव.—

अभ्यर्थी के पास उस पद के लिये विनिर्दिष्ट ऐसे शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएं एवं अनुभव होना चाहिए जैसा कि अनुसूची तीन के कॉलम—(5) में विहित किया गया है।

9. निरर्हता.—

- (एक) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है;
 (दो) यदि वह पूर्व में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और किसी स्थानीय निकाय, सहकारी सोसायटी या केन्द्रीय या राज्य शासन के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से बर्खास्त किया गया हो;
 (तीन) यदि वह नैतिक अधमता अंतर्वलित होने वाले किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो;
 (चार) यदि वह महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध के लिये दण्डित किया गया हो, परन्तु जहाँ किसी अभ्यर्थी का प्रकरण पुलिस/न्यायालय के समक्ष लंबित हो ऐसी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का प्रकरण अंतिम निर्णय प्राप्त होने तक लंबित रखा जाएगा;
 (पाँच) यदि किसी अभ्यर्थी की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं और महिला अभ्यर्थी के मामले में यदि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है जिसकी पूर्व से जीवित पत्नी हो;
 (छः) यदि वह किसी आपराधिक अपराध के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया हो तथा दण्डित किया गया हो;
 (सात) यदि अभ्यर्थी, केन्द्रीय शासन/राज्य शासन या स्थानीय निकाय या केन्द्रीय/राज्य शासन के किसी संगठन या किसी शासकीय सहायता प्राप्त संगठन का कर्मचारी है और यदि वह विद्यमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है;
 (आठ) किसी अभ्यर्थी की ओर से किसी भी साधन से अपनी अभ्यर्थिता का समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसके परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरर्हता समझा जायेगा;
 (नौ) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, तो वह किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव में, जो 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ हो और दो या अधिक संतान पैदा हुई हो, तो वह किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा;
 (दस) कोई भी अभ्यर्थी जो विवाह के लिये नियत न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह करता है, पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में चयन समिति का विनिश्चय.—

परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के संबंध में किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

11. सीधी भरती के लिये प्रक्रिया.-

- (1) सेवा में सीधी भरती के लिये चयन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा।
- (2) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, महिला वर्ग, अभ्यर्थियों के लिये मध्यप्रदेश शासन के तत्समय प्रवृत्त नियमों में विहित संख्या में रिक्तियां आरक्षित रखी जाएगी।
- (3) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझा गया हो, उप नियम (2) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

12. आयोग द्वारा सीधी भरती हेतु सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.-

- (1) आयोग अर्ह अभ्यर्थियों की विषयवार चयन सूची शासन को भेजेगा। यह सूची सर्व साधारण की सूचना के लिये प्रदर्शित की जाएगी।
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्याधीन रहते हुये, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हैं।
- (3) सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने संबंधी तथ्य ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि शासन ऐसी जाँच के बाद, जिसे आवश्यक समझे, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (4) चयन सूची, आयोग के द्वारा जारी दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक विधिमान्य रहेगी, जो आयोग की सहमति से छः माह की कालावधि के लिये बढ़ाई जा सकेगी।
- (5) आयोग, विषयवार विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत अथवा चार अभ्यर्थियों, जो भी अधिक हो, की संख्या में चयनित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची शासन को भेजेगा। प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक विधिमान्य रहेगी।

13. परिवीक्षा.-

सेवा में सीधी भरती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी को 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर राज्य शासन स्तर से परिवीक्षा अवधि समाप्ति हेतु समुचित आदेश जारी होंगे। परिवीक्षा अवधि में देय लाभ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुरूप होगा।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.-

- (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के माध्यम से चयन करने के लिये एक विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अनुसूची-चार में यथावर्णित सदस्य होंगे।
- (2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निर्दिष्ट करे, किन्तु सामान्यतः प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।
- (3) सेवा में पदोन्नति के लिये प्रत्येक वर्ष, उस वर्ष में पदोन्नति के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से उतनी संख्या में रिक्त पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे, जितने कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी तथा तत्समय लागू नियमों में निर्धारित हों।

15. पदोन्नति हेतु पात्रता संबंधी शर्तें.—

- (1) विभागीय पदोन्नति समिति किसी स्वशासी संस्था में कार्यरत उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विहित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता तथा अनुभव धारित करते हों।
- (2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा) नियम, 1997 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पदोन्नतियां करने की प्रक्रिया केवल इन नियमों के अनुसार होगी।
- (3) किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमानता देकर पदोन्नति के लिये केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जाएगा कि उसने विहित सेवा पूर्ण कर ली है।
- (4) सेवा में पदोन्नति के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी नियम के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

16. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना.—

विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जो चयन समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त ठहराए गए हों।

17. पदोन्नति हेतु चयन सूची.—

- (1) नियम 16 में तैयार की गई सूची शासन द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदन के उपरान्त अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शाए गए पदों पर से अनुसूची-चार के कॉलम (3) में दर्शाए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।
- (2) चयन सूची एक वर्ष की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगी या जब तक कि उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता शासन की अनुमति से 18 मास की कुल कालावधि तक बढ़ाई जा सकेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में शासन द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटाया जा सकेगा।

18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—

- (1) चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की सेवा संवर्ग के अन्तर्गत आने वाले पदों पर नियुक्त उसी क्रम में की जाएगी जिस क्रम में ऐसे नाम चयन सूची में हो।
- (2) ऐसे किसी व्यक्ति जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो।

19. वरिष्ठता का निर्धारण.—

सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्न सिद्धांत के अनुसार अवधारित की जाएगी, अर्थात्:—

- (1) किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाया जाये, जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था, चयन सूची में उससे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से या उस तारीख, से जिस तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की जाएगी।
- (2) सीधे भरती तथा पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति/पदोन्नति आदेश जारी किये जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जाएगी;
- (3) यदि सीधी भरती और पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो प्रोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से (इन ब्लॉक) सीधी भरती किये गये व्यक्ति से वरिष्ठ माने जाएंगे।

20. अनुशासनात्मक कार्यवाही.—

स्वशासी सेवा के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति शासन नियमों के अनुसार शासन के पास निहित होगी।

21. आरक्षण रोस्टर.—

- (1) प्रधानाचार्य के पद हेतु राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर प्रभावशील रहेगा।
- (2) प्रोफेसर, रीडर एवं व्याख्याता के पदों पर विषयवार राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर प्रभावशील रहेगा।

22. शासन नियमों का प्रवर्तन.—

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, उसका निराकरण शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

23. नियमों में संशोधन का अधिकार.—

इन नियमों के किसी भी उपबंध में बदलाव/संशोधन का अधिकार राज्य सरकार का होगा।

24. निर्वचन.—

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न/विवाद उद्भूत होता है तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर शासन का विनिश्चय अंतिम होगा।

25. निरसन और व्यावृत्ति—

इन नियमों के तत्स्थानी तथा इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं, परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पंकज शर्मा, उपसचिव.

अनुसूची-एक
(नियम-05 देखिये)

अ- आयुर्वेद-

अनु. क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	महाविद्यालय का नाम							कुल पद	वर्गीकरण	वेतनमान
		भोपाल	बुरहानपुर	ग्वालियर	इन्दौर	जबलपुर	रीवा	उज्जैन			
1	प्रधानाचार्य	1	1	1	1	1	1	1	7	प्रथम श्रेणी	129700-214300 (एल-16)
2	प्रोफेसर										
	संहिता सिद्धांत	2	1	1	1	1	2	1	9	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	रचना शरीर	2	1	1	1	1	1	2	9	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	क्रिया शरीर	2	1	1	1	1	1	1	8	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	द्रव्यगुण	2	1	1	1	1	1	2	9	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना	2	1	1	1	1	1	1	8	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	रोग निदान	2	1	1	1	1	1	1	8	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	स्वस्थवृत्त	2	1	1	1	1	1	1	8	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	1	1	1	1	1	1	1	7	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	कायचिकित्सा	2	1	1	1	1	1	2	9	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	शल्य तंत्र	1	1	1	1	1	1	1	7	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	शालाक्य तंत्र	1	1	1	1	1	1	1	7	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	पंचकर्म	2	1	1	1	1	1	1	8	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	अगदतंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद	1	0	0	0	0	0	0	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
		22	12	12	12	12	13	15	98	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
3	रीडर										
	संहिता सिद्धांत	2	1	1	1	1	2	1	9	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	रचना शरीर	2	1	1	1	1	1	2	9	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	क्रिया शरीर	2	1	2	1	1	1	1	9	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	द्रव्यगुण	1	1	1	1	1	1	2	8	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना	1	1	1	1	1	1	1	7	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	रोग निदान	2	1	1	1	1	1	1	8	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	स्वस्थवृत्त	2	1	1	1	1	1	1	8	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)

	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	1	1	1	1	1	1	1	7	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	कौमर भृत्य	1	1	1	1	1	1	1	7	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	कायचिकित्सा	2	1	1	1	1	1	2	9	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	शल्य तंत्र	1	1	1	1	1	1	1	7	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	शालाक्य तंत्र	1	1	1	1	1	1	1	7	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	पंचकर्म	1	1	1	1	1	1	1	7	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	अगदतंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद	1	1	1	1	1	1	1	7	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
		20	14	15	14	14	15	17	109	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
4	व्याख्याता										
	संहिता सिद्धांत	3	2	2	2	2	2	2	15	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	रचना शरीर	3	2	2	2	2	2	2	15	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	क्रिया शरीर	2	1	1	1	1	1	1	8	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	द्रव्यगुण	2	1	1	1	1	1	2	9	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	रसशास्त्र एवं शैषज्य कल्पना	2	1	1	1	1	1	1	8	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	रोग निदान	2	1	1	1	1	1	1	8	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	स्वस्थवृत्त	2	1	1	1	1	1	1	8	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	1	1	1	1	1	1	1	7	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	कौमर भृत्य	1	1	1	1	1	1	1	7	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	कायचिकित्सा	3	2	2	2	2	2	2	15	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	शल्य तंत्र	1	1	1	1	1	1	1	7	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	शालाक्य तंत्र	1	1	1	1	1	1	1	7	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	पंचकर्म	2	1	1	1	1	1	1	8	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	अगदतंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद	2	1	1	1	1	1	1	8	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
		27	17	17	17	17	17	18	130	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
4	व्याख्याता (संस्कृत)	1	1	1	1	1	1	1	7	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
5	व्याख्याता (एलोपैथी)	4	3	4	3	3	4	4	25	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)

ब-	होम्योपैथी-			
क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	भोपाल	वर्गीकरण	वेतनमान
1	प्रधानाचार्य	1	प्रथम श्रेणी	129700-214300 (एल-16)
2	प्रोफेसर			
	एनॉटामी	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	फिजियोलॉजी एण्ड बायोकेमिस्ट	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	आर्गेनेस ऑफ मेडिसिन	2	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	होम्योपैथी फार्मसी	2	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	होम्योपैथी मटेरिया मेडिका	3	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	पैथोलॉजी एण्ड माइक्रोबायोलॉजी	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	साइकियाट्री	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	प्रेक्टिस ऑफ मेडिसिन	2	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	सर्जरी	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	आब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	कम्यूनिटी मेडिसिन	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	रिपोर्टरी	2	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	पीडियाट्रिक्स	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
		19		
3	रीडर			
	एनॉटामी	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	फिजियोलॉजी एण्ड बायोकेमिस्ट	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	आर्गेनेस ऑफ मेडिसिन	3	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	होम्योपैथी फार्मसी	2	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	होम्योपैथी मटेरिया मेडिका	3	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	पैथोलॉजी एण्ड माइक्रोबायोलॉजी	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	फोरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सीकोलोजी	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	प्रेक्टिस ऑफ मेडिसिन	3	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	सर्जरी	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	आब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	कम्यूनिटी मेडिसिन	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	रिपोर्टरी	2	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	पीडियाट्रिक्स	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	साइकियाट्री	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
		22		
4	व्याख्याता			
	एनॉटामी	2	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	फिजियोलॉजी एण्ड बायोकेमिस्ट	2	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	आर्गेनेस ऑफ मेडिसिन	3	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	होम्योपैथी फार्मसी	2	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	होम्योपैथी मटेरिया मेडिका	3	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	पैथोलॉजी एण्ड माइक्रोबायोलॉजी	1	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	फोरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सीकोलोजी	1	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)

	प्रेक्टिस ऑफ मेडिसिन	3	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	सर्जरी	1	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	आब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी	1	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	कम्यूनिटी मेडिसिन	1	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	रिपोर्टरी	2	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
		22		

स- क्रमांक	यूनानी सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	भोपाल	वर्गीकरण	वेतनमान
1	प्रधानाचार्य	1	प्रथम श्रेणी	129700-214300 (एल-16)
2	प्रोफेसर			
	तहफूजी व समाजी तिब	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	मुआलेजात	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	जराहियात	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	इल्मुल अमराज व सरीरियात (माहितुल अमराज)	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	इल्मुल अदबिया	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	तशरीहुल बदन	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	मुनाफेउल आजा	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	कूल्लियात	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	तिब्बे कानून व इल्मुससमूम	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	अमराजे निसवां	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	इल्मुल कवालत	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	अमराजे उज्ज अनफ हलक	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	अमराजे जिल्द व जोहराविया	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
	इलाज बिद तदबीर	1	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (एल-14)
		14		
3	रीडर			
	तहफूजी व समाजी तिब	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	मुआलेजात	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	जराहियात	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	इल्मुल अमराज व सरीरियात (माहितुल अमराज)	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	इल्मुल अदबिया	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	तशरीहुल बदन	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	मुनाफेउल आजा	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	कूल्लियात	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	तिब्बे कानून व इल्मुससमूम	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	अमराजे निसवां	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	इल्मुल कवालत	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	अमराजे उज्ज अनफ हलक	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	अमराजे जिल्द व जोहराविया	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
	इलाज बिद तदबीर	1	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (एल-13)
		14		

4	व्याख्याता			
	तहफूजी व समाजी तिब	1	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	मुआलेजात	2	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	जराहियात	1	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	इल्मुल अमराज व सरीरियात (माहितुल अमराज)	2	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	इल्मुल अदबिया	2	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	तशरीहुल बदन	1	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	मुनाफेउल आजा	1	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	तिब्बे कानून व इल्मुससमूम	1	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	अमराजे निसवां	1	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	इल्मुल कवालत	1	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	अमराजे उज्ज अनफ हलक	1	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	अमराजे जिल्द व जोहराविया	1	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	इलाज बिद तदबीर	1	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
	अरबी	1	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (एल-12)
		17		

अनुसूची-दो

(नियम-6 देखिये)

अनु क्रमांक	पद का नाम	सेवा का वर्गीकरण	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
				सोयी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति के द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अ- आयुर्वेद महाविद्यालय :							
1	प्रधानाचार्य 1. आयुर्वेद (07) 2. होम्योपैथी (01) 3. यूनानी (01)	प्रथम श्रेणी	09	—	75%	25%	26 प्रतिशत पदों की पूर्ति देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्वानों के द्वारा निरिक्त अवधि के लिये।
2	प्रोफेसर	प्रथम श्रेणी	98	25%	75%	—	सोयी भर्ती/पदोन्नति
3	रीडर	प्रथम श्रेणी	109	25%	75%	—	सोयी भर्ती/पदोन्नति
4	व्याख्याता (आयुर्वेद)	द्वितीय श्रेणी	130	100%	—	—	—
5	व्याख्याता (संस्कृत)	द्वितीय श्रेणी	07	100%	—	—	प्रतिनियुक्त
6	व्याख्याता (एलोपैथी)	द्वितीय श्रेणी	25	100%	—	—	—
ब- होम्योपैथी महाविद्यालय :							
1	प्रोफेसर	प्रथम श्रेणी	20	25%	75%	—	सोयी भर्ती/पदोन्नति
2	रीडर	प्रथम श्रेणी	22	25%	75%	—	सोयी भर्ती/पदोन्नति
3	व्याख्याता	द्वितीय श्रेणी	22	100%	—	—	—
स- यूनानी महाविद्यालय :							
1	प्रोफेसर	प्रथम श्रेणी	14	25%	75%	—	सोयी भर्ती/पदोन्नति
2	रीडर	प्रथम श्रेणी	14	25%	75%	—	सोयी भर्ती/पदोन्नति

3	व्याख्याता	द्वितीय श्रेणी	17	100%	-	-	-
---	------------	----------------	----	------	---	---	---

नोट-

1. प्रधानाचार्य के पदों पर प्रतिनियुक्ति की यह व्यवस्था समस्त 09 शासकीय स्वशासी आयुष महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने की स्थिति में रोटेशन के आधार पर प्रभावशील रहेगी।
2. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ प्रधानाचार्य के कार्यकाल की अवधि सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार रहेगी।

**अनुसूची-तीन
(नियम-8)**

अनु. क्रमांक	पद का नाम	सेवा का वर्गीकरण	उच्चतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएं एवं अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी			
1	प्रधानाचार्य (केवल प्रतिनियुक्ति पर लागू)	प्रथम श्रेणी	55	1- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि। 2- आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी में पीएचडी उपाधि। 3- नियमित सेवा में 20 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव, जिसमें 05 वर्ष का प्रोफेसर पद का अनुभव अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शिक्षण का 08 वर्ष का संयुक्त शैक्षणिक अनुभव (रीडर/प्रोफेसर) अथवा भारत सरकार/ राज्य सरकार/ स्वशासी संस्था/ वैधानिक संगठन/ मान्यता प्राप्त रिसर्च काउंसिल/ विश्वविद्यालय में रिसर्च का 05 वर्ष एवं 05 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। 4- प्रतिष्ठित जर्नल में मुख्य लेखक के रूप में न्यूनतम 10 पेपर का प्रकाशन। 5- पीएचडी/एमडी गार्ड के रूप में 05 वर्ष का अनुभव।
2	प्रोफेसर (केवल सीधी भर्ती पर लागू)	प्रथम श्रेणी	50	1- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/ राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता एवं अनुभव, जिसमें रीडर पद का 05 वर्ष का अनुभव अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार/स्वशासी संस्था/ वैधानिक संगठन/ मान्यता प्राप्त रिसर्च काउंसिल/ विश्वविद्यालय में रिसर्च का अनुभव-05 वर्ष। 2- आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी में पीएचडी उपाधि। 3- प्रतिष्ठित जर्नल में मुख्य लेखक के रूप में न्यूनतम 08 पेपर का प्रकाशन। 4- पीएचडी/एमडी गार्ड के रूप में 05 वर्ष का अनुभव।
3	रीडर (केवल सीधी भर्ती पर लागू)	प्रथम श्रेणी	45	1- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता एवं अनुभव, जिसमें व्याख्याता पद का 05 वर्ष का अनुभव अथवा भारत सरकार/ राज्य सरकार/ स्वशासी संस्था/ वैधानिक संगठन/ मान्यता प्राप्त रिसर्च काउंसिल/ विश्वविद्यालय में रिसर्च का अनुभव-03 वर्ष। 2- आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी में पीएचडी उपाधि। 3- प्रतिष्ठित जर्नल में मुख्य लेखक के रूप में न्यूनतम 05 पेपर का प्रकाशन।
4	व्याख्याता (एलोपैथी)	प्रथम श्रेणी	40	1- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता एवं अनुभव।
5	व्याख्याता	द्वितीय श्रेणी	40	तदेव
6	व्याख्याता (संस्कृत)	द्वितीय श्रेणी	40	तदेव

स्पष्टीकरण-

1. सीधी भरती के लिये चयन समिति निम्नानुसार होगी:-

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. अध्यक्ष, म.प्र. लोक सेवा आयोग अथवा प्रतिनिधि | - | अध्यक्ष |
| 2. संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ | - | सदस्य |
| 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि | - | सदस्य |

अनुसूची-चार
(देखिये नियम-14)

अनु. क्रमांक	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	कॉलम (3) में दिये गये पद पर पदोन्नति के लिये न्यूनतम शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतायें तथा अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अ- आयुर्वेद महाविद्यालय				
1	प्रोफेसर	प्रधानाचार्य	भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार योग्यता एवं अनुभव	स्पष्टीकरण के क्रमांक 01 अनुसार
2	रीडर	प्रोफेसर	तदैव	स्पष्टीकरण के क्रमांक 01 अनुसार
3	सहायक प्रोफेसर	रीडर	तदैव	स्पष्टीकरण के क्रमांक 02 अनुसार
ब- होम्योपैथी महाविद्यालय				
1	प्रोफेसर	प्रधानाचार्य	राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार योग्यता एवं अनुभव	स्पष्टीकरण के क्रमांक 01 अनुसार
2	रीडर	प्रोफेसर	तदैव	स्पष्टीकरण के क्रमांक 01 अनुसार
3	सहायक प्रोफेसर	रीडर	तदैव	स्पष्टीकरण के क्रमांक 02 अनुसार
स- यूनानी महाविद्यालय				
1	प्रोफेसर	प्रधानाचार्य	भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार योग्यता एवं अनुभव	स्पष्टीकरण के क्रमांक 01 अनुसार
2	रीडर	प्रोफेसर	तदैव	स्पष्टीकरण के क्रमांक 01 अनुसार
3	सहायक प्रोफेसर	रीडर	तदैव	स्पष्टीकरण के क्रमांक 02 अनुसार

स्पष्टीकरण-

- स्वशासी चयन समिति से चयनित उम्मीदवार के संबंध में पदोन्नति समिति:-
 - 1 प्रमुख सचिव, आयुष विभाग अथवा प्रतिनिधि — अध्यक्ष
 - 2 आयुक्त, आयुष विभाग अथवा प्रतिनिधि — सदस्य
 - 3 आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि — सदस्य
 - 4 वरिष्ठतम प्रधानाचार्य — सदस्य
- लोक सेवा आयोग से चयनित उम्मीदवार के संबंध में पदोन्नति समिति:-
 - 1 अध्यक्ष, म.प्र. लोक सेवा आयोग अथवा प्रतिनिधि — अध्यक्ष
 - 2 प्रमुख सचिव, आयुष विभाग अथवा प्रतिनिधि — सदस्य
 - 3 आयुक्त, आयुष विभाग अथवा प्रतिनिधि — सदस्य
 - 4 आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि — सदस्य

Bhopal, the 11th February 2022

No. F. 1-06 / 2022 / 1-59: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the State Government, hereby supersede Government (Autonomous) Ayurveda, Homeopathy and Unani College and Hospital Services (Teaching Cadre) Recruitment Rules, 2010, and hereby makes the following rules relating to recruitment and other conditions of service of Government (Autonomous) Ayurveda, Homeopathy and Unani College and Hospital Services (Teaching Cadre) Recruitment Rules, 2022, namely:-

RULES

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called "Autonomous Government Ayurveda, Homeopathy and Unani College and Hospital Service (Teaching Cadre) Recruitment Rules, 2022".
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.-In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "appointing authority" means the competent officer for proceeding in respect of such persons, who, on the date of commencement of these rules are holding the post mentioned in column 2 of Schedule-II substantively;

- (b) "Autonomous Institution" means a Government Ayurveda, Homeopathy or Unani College and affiliated hospital registered as an autonomous institution under the Madhya Pradesh Firms and Societies Act, 1973;
- (c) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission or any agency designated by the Government;
- (d) "Commissioner" means the Commissioner, Directorate of AYUSH, Madhya Pradesh;
- (e) "Economically Weaker Section"(EWS) means a citizen who does not come under any reserve category such as Scheduled Castes and Scheduled Tribes declared by the State of Madhya Pradesh under Article 341 and 342 of the Constitution of India and a citizen as specified vide notification dated 26.12.1984 as amended from time to time.
- (f) "Examination" means a competitive examination organized for recruitment under rule 10;
- (g) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (h) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (i) "National Commission for Homeopathy" means the national Level Homoeopathy regulatory body;
- (j) "National Commission for Indian System of Medicine" means the national level Ayurved and Unani regulatory body;
- (k) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

- (l) "Promotion Committee" means the Promotion Committee prescribed in Schedule-IV for recruitment by promotion in Autonomous Government Ayurveda, Homeopathy and Unani Colleges under these rules;
- (m) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
- (n) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (o) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (p) "Service" means Madhya Pradesh Government (Autonomous) Ayurveda, Homeopathy and Unani College and Hospital (Teaching Cadre) Service;
- (q) "Society" means registered Society of any Ayush College registered under the Madhya Pradesh Society Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973);

3. Scope and Application.-

Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the Service.-

The Service shall consist of the following persons, namely:

- (i) The persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts of any autonomous institution of any Autonomous Government Ayurveda, Homeopathy or Unani College, specified in Schedule-I;
- (ii) The persons who, before the commencement of these rules, have been recruited in the service of Ayush Department, Government of Madhya Pradesh according to the rules for the time being in force and have been included in the service after autonomization of the college;
- (iii) The persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, scale of pay etc.-

The classification of the service, pay scale attached thereto and number of the posts included in the service shall be in accordance with the provisions given in Schedule-I:

Provided that, on the recommendations of autonomous colleges, the Government may, increase or decrease the number of posts included in the service, from time to time, whether on permanent or temporary basis.

6. Mode of recruitment.-

- (1) After the commencement of these rules, recruitment to the service shall be made in the following manner, namely:-
 - (a) By direct recruitment;

- (b) By promotion of members of the Service;
- (c) By transfer of persons who substantively hold such posts in such services as may be specified in this behalf;
- (d) By absorption of that person in the service on the basis of option given by the persons of Government/Autonomous service.
- (2) The number of persons recruited under clause (b) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage as shown in Schedule II.
- (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, which are required to be filled during the period and the number of persons to be recruited by each method shall be determined by the Government on each occasion.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the State Government may adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as may be prescribed by the order issued in this behalf.
- (5) In special circumstances, relaxation in the above prescribed provisions may be given by the Government.

7. Selection to the Service.-

Selection to the service shall be made in the manner determined by the Government. All appointments shall be

made by any of the modes of recruitment specified in rule 6 and not otherwise.

(1) Selection committee-

The selection committee shall be as per the provisions of Schedule-III

(2) Transfer -

Employee of any autonomous institutions may be transferred from one autonomous institution to another autonomous institution in the same capacity.

(3) Appointing Authority -

(i) Power to appoint Principal shall lie with the Government;

(ii) Power to appoint Professor, Reader and Lecturer shall lie with the autonomous college.

8. Eligibility Conditions of Direct Recruitment.-

A candidate must fulfill the following conditions for being eligible to be selected, namely:

(1) Age-

(a) On the date of commencement of selection, he should not have completed the age shown in column (4) of Schedule-III;

(b) If the candidate belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, then the upper age limit may be

relaxed for such maximum period, as may be applicable for the time being in accordance with the orders issued by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.;

(c) In the case of the candidates who are or have been employees of the Government of Madhya Pradesh, the upper age limit shall be relaxed upto the extent and subject to the conditions specified, below:-

(i) A candidate, who is a permanent Government servant, may be given a relaxation of maximum 5 years in the upper age limit;

(ii) A candidate who is holding a temporary post and applying for another post may be given in the upper age limit a relaxation of maximum of five years. This relaxation shall also be permissible to the employees paid from the contingency fund, work charged employees and to the employees working under project implementation committees;

(iii) a candidate who is a retrenched Government employee shall be allowed to reduce from his age the total temporary service rendered by him in the past to the extent of 7 years, even if, that period is the sum of the services rendered more than once;

Explanation: The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary

Government service of this State or any constituent unit for a continuous period of not less than six months and who was retrenched due to reduction in establishment more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or an application made otherwise for employment in Government service.

- (d) A candidate, who is an ex-serviceman, shall be allowed to deduct, from his age, the period of whole defense service rendered by him previously;

Explanation: The term "Ex-Serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in the establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or an application made otherwise for employment in Government service:-

- (1) Ex-servicemen who have been released under mustering out concessions;
- (2) Ex-servicemen who have been enrolled for the second time and who have been discharged on (a) completion of short term engagement (b) fulfilling the conditions of enrolment;
- (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

- (4) Officers (Military or Civil including Regular Commissioned Officers in Short Term Service) who have been discharged on the completion of their contract;
 - (5) Officers who have been discharged after working continuously for more than 6 months against leave vacancies;
 - (6) Ex-servicemen who have been discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
 - (7) Ex-servicemen who have been medically boarded out on account of gunshot, wound etc.
- (e) The upper age limit shall be relaxed to the women and for widows and destitute candidates to the extent for the time being, applicable as per the determination made by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh;
- (f) The upper age limit shall be relaxed up to 5 years to the couple awarded under the Inter-caste Marriage Incentive Program of the Tribal, Scheduled Castes and Backward Classes Welfare Department;
- (g) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum of 5 years in respect of Vikram Award holder candidate;
- (h) Relaxation of 5 years shall be given in the upper age limit in respect of employees of Madhya Pradesh State Corporations/Boards;

- (i) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned officers of the Home Guards, for the period of service rendered by them, subject to a limit of 8 years.

Note: (1) Other candidates, who have been found eligible for selection under the age relaxation referred to in sub-clauses (i) and (ii) of clause (a) of sub-rule (1), shall not be eligible for appointment, if after submitting the application they resign from the service before or after selection, however, if they are retrenched from service or post after submission of application, they shall continue to be eligible for appointment.

(2) In any other case, the age limit shall not be relaxed.

(3) Government / Autonomous serving candidates shall have to obtain prior permission of the Appointing Authority to appear for the selection.

- (2) Educational and professional qualifications and experience.-

The Candidates must possess such educational and professional qualifications and experience specified for that post, as is prescribed in column- 5 of Schedule-III.

9. Disqualification.-

- (1) If he/she is not a citizen of India;
- (2) If he/she has been dismissed in past from service of Central Government, State Government and any Local Body, Co-operative Society or any Public Sector Undertaking under the control of Central or the State Government;
- (3) If he/she has been convicted of an offence involving moral turpitude;
- (4) If he/she has been convicted of an offence against women, provided that where the case of a candidate is pending before Police/ court, the appointment of the candidate shall be kept pending till the final decision of the court;
- (5) If the candidate has more than one living wife, and in case of a female candidate, if she has married a person having a living wife already;
- (6) If he/she has been convicted and punished under any criminal offence;
- (7) If the candidate is an employee of the Central Government /State Government or of any Local body or of an Organization of Central /State Government or of any Government Aided Organization, and if he/she does not produce a No Objection Certificate (NOC) from the present employer;
- (8) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held disqualification by the Appointing Authority for appearing in the examination/selection;
- (9) A candidate who has more than two living children, one of whom was born on or after January 26, 2001, shall not be

eligible for appointment to any service or post, provided that no candidate who already has one living child and in subsequent delivery, which takes place on or after January 26, 2001, two or more children are born, shall be disqualified for appointment to any service or post.;

- (10) No candidate shall be eligible for appointment to the post who has married before the minimum age fixed for marriage.

10. Decision of the Selection Committee as to the eligibility of the candidate.-

The decision of the Commission as to the eligibility or ineligibility of a candidate for appearing in the examination/interview shall be final and no candidate, to whom admission card has not been issued by the Commission, shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. Procedure for Direct Recruitment.-

- (1) The selection for direct recruitment to the service shall be made by the Madhya Pradesh Public Service Commission.
- (2) There shall be kept post reserved for the persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes and for the candidates belonging to general cadre of economically weaker sections, disabled, ex-servicemen, women candidates out of the vacancies available for direct recruitment as per the number prescribed in the rules for the time being in force, of the Government of Madhya Pradesh.

- (3) Candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections, who are considered suitable by the appointing authority for appointment to the service, having regard to the maintenance of efficiency in administration, may be appointed against the vacant seats reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes the Other Backward Classes or Economically Weaker Sections, as the case may be, under sub-rule (2).

12. List of candidates recommended by the Commission for direct recruitment.-

- (1) The Commission shall forward a subject wise select list of the qualified candidates to the Government. This list shall be published for the information of general public.
- (2) Subject to the provisions contained in these rules and the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Services) Rules, 1961 the candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order, in which their names appear in the list.
- (3) Merely the fact of inclusion of a candidate's name in the list confers him no right to appointment, unless the Government is satisfied after such inquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
- (4) The select list shall remain valid for a period of one year from the date of issue by the Commission and the same may be extended for a period of six months with the consultation of the commission.
- (5) The commission shall forwarded to the Government a waiting list of 50 percent or four candidates of the posts advertised subject wise, whichever is more. The waiting list shall remain valid for a period of one year from the date of issue.

13 Probation.-

The candidate selected to the service through direct recruitment shall be appointed on probation for the period of 02 years, on being found the work during the probation period appropriate orders shall be issued from the state level for the completion of probation period. The benefits payable during the probation period shall be in accordance with the notifications issued by General administration Department from time to time.

14. Appointment by promotion.-

(1) There shall be constituted a departmental promotion committee consisting of the members as mentioned in Schedule-IV for selection of eligible candidates through promotion.

(2) The Departmental Promotion Committee shall meet at such intervals as may be directed by the appointing authority but it shall ordinarily be held at least once in a year.

(3) For promotion in the service, every year, out of the vacancies available for promotion in that year, such number of vacancies shall be reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes as are prescribed in the rules issued by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh and for the time being in force.

15. Conditions of eligibility for promotion.-

(1) The Departmental Promotion Committee shall consider the cases of all such persons working in an autonomous institution, who possess the educational and professional qualification and experience prescribed in column (4) of Schedule -IV.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of Madhya Pradesh Civil Service (Reservation in Promotion and Limits on the Extent of Zone of Consideration) Rules, 1997, the process of making promotions shall be in accordance with these rules only.

(3) A junior person shall not be considered for promotion by giving preference over a person senior to him merely on the ground that he has completed the prescribed service.

(4) For promotion in service, the provisions of the rules issued by the Madhya Pradesh government shall be applicable mutatis mutandis.

16. Preparation of list of suitable persons.-

The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons, who fulfill the conditions prescribed in rule 15 above and are held by the Selection Committee to be suitable for promotion to the service.

17. Selection list for Promotion.-

- (1) The list prepared in rule 16, shall after the final approval by the Government, it be a select list for promotion from the posts shown in column (2) of Schedule- IV, to the posts shown in column (3) of Schedule- IV.
- (2) The selection list shall remain in force for a period of one year or until it is reviewed or revised but its validity may be extended with the permission of the Government for a total period of 18 months:

Provided that in event of grave lapse in the conduct or discharge of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made by the Government and, if it thinks fit, the name of such person may be removed from the select list.

18. Appointment to the service from the select list.-

- (1) Appointment of the candidates included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall be made in the order in which such names appear in the select list.
- (2) It shall not ordinarily be necessary to consult before appointment to the service with a person whose name is included in the select list of the service, unless such deterioration has occurred in his performance during the inclusion of his name in the select list, as to render him unfit for appointment to the service.

19 Determination of Seniority.-

The seniority of the members of a service or a specific branch or group of posts of that service shall be determined in accordance with the following principles, namely:-

- (1) The seniority of a person whose case was deferred by the Departmental Promotion Committee due to lack of Annual Character Reports or for any other reasons, but subsequently found fit to be promoted, from the date on which his junior was promoted shall be counted from the date of promotion of his immediate junior in the select list or from the date on which he is found fit to be promoted by the Departmental Promotion Committee.

- (2) The relative seniority between direct recruitees and promotees shall be determined according to the date of issue of appointment/promotion order.
- (3) If the orders of direct recruitment and promotion are issued on the same date, the promotee persons (inblock) shall be treated as senior to the direct recruitee.

20. Disciplinary action.-

Power to take disciplinary action against the members of autonomous service shall lie with the Government as per government rules.

21. Reservation Roster.-

- (1) The state level reservation roster shall be applicable for the post of Principal.
- (2) Subject wise state level reservation roster shall be applicable for the posts of Professor, Reader and Lecturer.

22. Enforcement of Government Rules.-

Notwithstanding anything contained in these rules, if any dispute arises, it shall be resolved as per the prevailing rules of the Government.

23 Right to amend the rules.-

Right to change/amend any provision of these rules shall lie with the State Government.

24. Interpretation.-

If any question/ dispute arise relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

25. Interpretation.- Repeal and Saving:-

Government (Autonomous) Ayurveda, Homeopathy and Unani College and Hospital Services (Teaching Cadre) Recruitment Rules, 2010 and all rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these Rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PANKAJ SHARMA, Dy. Secy.

Schedule –I
(See Rule 5)

A -Ayurved											
S. No.	Name of the posts involved In service	Name of college							Total	Class	Pay scale
		Bhopa	Burhanpu	Gwalior	Indor	Jabalpu	Rew	Ujjai			
1	Principal	1	1	1	1	1	1	1	7	Class-1	129700-214300 (L-16)
2	Professor										
	Samhita Siddhant	2	1	1	1	1	2	1	9	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Rachna sharir	2	1	1	1	1	1	2	9	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Kriyasharir	2	1	1	1	1	1	1	8	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Dravyaguna	2	1	1	1	1	1	2	9	Class-1	79900-211700 (L-14)
	RasShastra and BhaishjyaKalpana	2	1	1	1	1	1	1	8	Class-1	79900-211700 (L-14)
	RogNidan	2	1	1	1	1	1	1	8	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Swasthyavritta	2	1	1	1	1	1	1	8	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Prasutitantraavumstri rog	1	1	1	1	1	1	1	7	Class-1	79900-211700 (L-14)
	kayachikitsa	2	1	1	1	1	1	2	9	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Shalyatantra	1	1	1	1	1	1	1	7	Class-1	79900-211700 (L-14)
	ShalakyTantra	1	1	1	1	1	1	1	7	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Panchkarma	2	1	1	1	1	1	1	8	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Agadtantra	1	0	0	0	0	0	0	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
		22	12	12	12	12	13	15	98		
3	Reader										
	SamhitaSiddhant	2	1	1	1	1	2	1	9	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Rachnasharir	2	1	1	1	1	1	2	9	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Kriyasharir	2	1	2	1	1	1	1	9	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Dravyaguna	1	1	1	1	1	1	2	8	Class-1	67300-206900 (L-13)
	RasShastra and BhaishjyaKalpana	1	1	1	1	1	1	1	7	Class-1	67300-206900 (L-13)
	RogNidan	2	1	1	1	1	1	1	8	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Swasthyavritta	2	1	1	1	1	1	1	8	Class-1	67300-206900 (L-13)

	Prasutitantraavumstri rog	1	1	1	1	1	1	1	7	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Kaumaryabhritta	1	1	1	1	1	1	1	7	Class-1	67300-206900 (L-13)
	kayachikitsa	2	1	1	1	1	1	2	9	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Shalyatantra	1	1	1	1	1	1	1	7	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Shalakyatantra	1	1	1	1	1	1	1	7	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Panchkarma	1	1	1	1	1	1	1	7	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Agadtantra	1	1	1	1	1	1	1	7	Class-1	67300-206900 (L-13)
		20	14	15	14	14	15	17	109		
4	Lecturer										
	SamhitaSiddhant	3	2	2	2	2	2	2	15	Class-2	56100- 177500(L-12)
	Rachnasharir	3	2	2	2	2	2	2	15	Class-2	56100- 177500(L-12)
	Kriyasharir	2	1	1	1	1	1	1	8	Class-2	56100- 177500(L-12)
	Dravyaguna	2	1	1	1	1	1	2	9	Class-2	56100- 177500(L-12)
	RasShastra and BhaishjyaKalpana	2	1	1	1	1	1	1	8	Class-2	56100- 177500(L-12)
	RogNidan	2	1	1	1	1	1	1	8	Class-2	56100- 177500(L-12)
	Swasthyavritta	2	1	1	1	1	1	1	8	Class-2	56100- 177500(L-12)
	Prasutitantraavumstri rog	1	1	1	1	1	1	1	7	Class-2	56100- 177500(L-12)
	Kaumaryabhritta	1	1	1	1	1	1	1	7	Class-2	56100- 177500(L-12)
	kayachikitsa	3	2	2	2	2	2	2	15	Class-2	56100- 177500(L-12)
	Shalyatantra	1	1	1	1	1	1	1	7	Class-2	56100- 177500(L-12)
	Shalakyatantra	1	1	1	1	1	1	1	7	Class-2	56100- 177500(L-12)
	Panchkarma	2	1	1	1	1	1	1	8	Class-2	56100- 177500(L-12)
	Agadtantra	2	1	1	1	1	1	1	8	Class-2	56100- 177500(L-12)
		27	17	17	17	17	17	18	130		
4	Lecturer (Sanskrit)	1	1	1	1	1	1	1	7	Class-2	56100- 177500(L-12)
5	Lecturer (Allopathy)	4	3	4	3	3	4	4	25	Class-2	56100- 177500(L-12)

B- HOMOEOPATHY

S.No.	Name of the posts involved in service	Bhopal	Classification	Pay scale
1	Principal	1	Class-1	129700-214300 (L-16)
2	Professor			
	Anatomy	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Physiology and Biochemist	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Organon of Medicine	2	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Homeopathy Pharmacy	2	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Homeopathy MateriaMedica	3	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Pathology and Microbiology	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Psychiatry	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Practice of Medicine	2	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Surgery	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Obstetrics and Gynecology	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Community Medicine	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Repertory	2	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Pediatrics	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
		19		
3	Reader			
	Anatomy	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Physiology and Biochemist	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Organon of Medicine	3	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Homeopathy Pharmacy	2	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Homeopathy MateriaMedica	3	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Pathology and Microbiology	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Forensic Medicine and Toxicology	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Practice of Medicine	3	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Surgery	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Obstetrics and Gynecology	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Community Medicine	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Repertory	2	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Pediatrics	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Psychiatry	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
		22	Class-1	
4	Lecturer		Class-1	
	Anatomy	2	Class-1	56100-177500(L-12)
	Physiology and Biochemist	2	Class-1	56100-177500(L-12)
	Organon of Medicine	3	Class-1	56100-177500(L-12)
	Homeopathy Pharmacy	2	Class-1	56100-177500(L-12)
	Homeopathy MateriaMedica	3	Class-1	56100-177500(L-12)
	Pathology and Microbiology	1	Class-1	56100-177500(L-12)
	Forensic Medicine and Toxicology	1	Class-1	56100-177500(L-12)
	Practice of Medicine	3	Class-1	56100-177500(L-12)
	Surgery	1	Class-1	56100-177500(L-12)
	Obstetrics and Gynecology	1	Class-1	56100-177500(L-12)
	Community Medicine	1	Class-1	56100-177500(L-12)
	Repertory	2	Class-1	56100-177500(L-12)
		22		

C- UNANI

S.No.	Name of the posts involved in service	Bhopal	Classification	Pay scale
1	Principal	1	Class-1	129700-214300 (L-16)
2	Professor			
	Tahaffuji and SamajiTib	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Mualejat	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Jarahiyat	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	IlmulAmraj and Saririyat	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	IlmulAdabiya (Mufardat)	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	TashrihulBadan	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	MunajfeulAaja	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Kulliyat (UmureTabiya)	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	TibbeKanoon and Ilmusassum	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	AmrajeNiswan	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	IlmulKawalat	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	AmrajeUjnaAnafHalak	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	AmrajeJild and AmrajeJohraviya	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
	Ilaj bit tadbir	1	Class-1	79900-211700 (L-14)
		14		
3	Reader			
	Tahaffuji and SamajiTib	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Mualejat	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Jarahiyat	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	IlmulAmraj and Saririyat	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	IlmulAdabiya (Mufardat)	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	TashrihulBadan	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	MunajfeulAaja	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Kulliyat (UmureTabiya)	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	TibbeKanoon and Ilmusassum	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	AmrajeNiswan	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	IlmulKawalat	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	AmrajeUjnaAnafHalak	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	AmrajeJild and AmrajeJohraviya	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
	Ilaj bit tadbir	1	Class-1	67300-206900 (L-13)
		14		
4	Lecturer			
	TahaffujiandSamajiTib	1	Class-2	56100-177500(L-12)
	Mualejat	2	Class-2	56100-177500(L-12)
	Jarahiyat	1	Class-2	56100-177500(L-12)
	IlmulAmraj and Saririyat	2	Class-2	56100-177500(L-12)
	IlmulAdabiya (Mufardat)	2	Class-2	56100-177500(L-12)
	TashrihulBadan	1	Class-2	56100-177500(L-12)
	MunajfeulAaja	1	Class-2	56100-177500(L-12)
	Kulliyat (UmureTabiya)	1	Class-2	56100-177500(L-12)
	TibbeKanoon and Ilmusassum	1	Class-2	56100-177500(L-12)
	AmrajeNiswan	1	Class-2	56100-177500(L-12)
	IlmulKawalat	1	Class-2	56100-177500(L-12)
	AmrajeUjnaAnafHalak	1	Class-2	56100-177500(L-12)
	AmrajeJild and AmrajeJohraviya	1	Class-2	56100-177500(L-12)
	Ilaj bit tadbir	1	Class-2	56100-177500(L-12)
	Arbi	17		

Schedule - II
(See Rule - 6)

Sr.	Designation	Service Classification	Total No. of duty posts	Percentage of No. of Duty Posts to be Filled			Remark
				By Direct Recruitment	By Promotion	By Transfer of people from other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Ayurveda College							
1.	Principal	Class-I	09	-	75%	25%	25 percent of the posts shall be filled for a fixed period by reputed institutions of the country
	1 Ayurveda (07)						
	2 Homoeopathy (01)						
	3 Unani (01)						
2.	Professor	Class-I	98	25%	75%	-	Direct Recruitment/ Promotion
3.	Reader	Class-I	109	25%	75%	-	Direct Recruitment/ Promotion
4.	Lecturer (Ayurveda)	Class-II	130	100%	-	-	-
5.	Lecturer (Sanskrit)	Class-II	07	100%	-	-	Deputation
6.	Lecturer (Allopathy)	Class-II	25	100%	-	-	-
B. Homoeopathy College							
1.	Professor	Class-I	20	25%	75%	-	Direct Recruitment/ Promotion
2.	Reader	Class-I	22	25%	75%	-	Direct Recruitment/ Promotion
3.	Lecturer	Class-II	22	100%	-	-	-
C. Unani College							
1.	Professor	Class-I	14	25%	75%	-	Direct Recruitment/ Promotion
2.	Reader	Class-I	14	25%	75%	-	Direct Recruitment/ Promotion
3.	Lecturer	Class-II	17	100%	-	-	-

Note :

- This system of deputation for the post of Principal shall be effective on rotation basis in case of vacancy in all 09 Government Autonomous Ayush colleges.
- The tenure of the Principal posted on deputation shall be as per the rules of the General Administration Department.

Schedule - III
(See Rule - 8)

Sr.	Designation	Service Classification	Max. Age Limit	Prescribed Education and Professional Eligibility and Experience
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ayurveda/Homoeopathy/Unani Colleges				
1	Principal (Applicable for Deputation only)	Class-I	55	<ol style="list-style-type: none"> 1 Post Graduate degree from a University/ Institution recognized by the National Commission for Indian System of Medicine/National Commission for Homeopathy. 2 Ph.D. Degree in Ayurveda/ Homoeopathy/ Unani. 3 20 years' academic experience in regular service, including 05 years' experience as Professor or 08 years' combined academic experience of teaching in a postgraduate course (Reader/Professor) or Government of India/State Government/ Autonomous Institution/Statutory Organization/ Recognized Research Council/ 05 years of experience of research and 05 years of administrative experience in University 4 Publication of minimum 10 papers in reputed journal as lead author. 5 05 years experience as Ph.D./M.D. Guide
2	Professor (Applicable for Direct recruitment only)	Class-I	50	<ol style="list-style-type: none"> 1 Educational and professional qualification and experience as per the criteria laid down by the National Commission for Indian System of Medicine/National Commission for Homeopathy, in which 05 years experience on the post of Reader or Research Experience in Government of India or State Government / Autonomous Institution / Statutory Organization / Recognized Research Council / Experience of Research in University - 05 years 2 Ph.D. Degree in Ayurveda/ Homoeopathy/ Unani. 3 Publication of minimum 08 papers in reputed journal as lead author. 4 05 years experience as Ph.D./M.D. Guide
3	Reader	Class-I	45	<ol style="list-style-type: none"> 1 Educational and professional qualification and experience as per the criteria laid down by the

	(Applicable for Direct recruitment only)			<p>National Commission for Indian System of Medicine/National Commission for Homeopathy, in which 05 years experience in the post of lecturer or research experience in Government of India / State Government / Autonomous Institution / Statutory Organization / Recognized Research Council / Experience of Research in University- 03 years.</p> <p>2 Ph.D. Degree in Ayurveda/ Homoeopathy/ Unani.</p> <p>3 Publication of minimum 05 papers in reputed journal-as lead author.</p>
4.	Reader (Allopathy)	Class-I	40	Educational and professional qualification and experience as per the criteria laid down by the National Commission for Indian System of Medicine/National Commission for Homeopathy.
5.	Lecturer (Ayurveda)	Class-II	40	Educational and professional qualification and experience as per the criteria laid down by the National Commission for Indian System of Medicine/National Commission for Homeopathy.
6.	Lecturer (Sanskrit)	Class-II	40	Educational and professional qualification and experience as per the criteria laid down by the National Commission for Indian System of Medicine/National Commission for Homeopathy.

Explanation :-

The selection committee for direct recruitment shall be as follows-

- | | | | |
|---|---|---|-----------|
| 1 | Chairperson, MP Public Service Commission | - | President |
| | or representative | | |
| 2 | Two experts in the relevant subject | - | Member |
| 3 | Representative of Reserved Class | - | Member |

Schedule - IV
(See Rule - 13)

Sr. No.	Name of the Service or Designation from which promotion is to be made	Name of the Service or Designation to which promotion is to be made	Minimum period of service rendered on the post of column (2) for promotion to the post specified in column (3)	Name of the Departmental Committee Members
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A- Ayurveda College				
1	Professor	Principal	Qualification and experience as per the norms of National Commission for Indian System of Medicine	As per Explanation No. 01

Sr. No.	Name of the Service or Designation from which promotion is to be made	Name of the Service or Designation to which promotion is to be made	Minimum period of service rendered on the post of column (2) for promotion to the post specified in column (3)	Name of the Departmental Committee Members
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Reader	Professor	"	As per Explanation No. 01
3	Lecturer	Reader	"	As per Explanation No. 02
B- Homeopathy College				
1	Professor	Principal	Qualification and experience as per norms of National Homoeopathic Commission	As per Explanation No. 01
2	Reader	Professor	"	As per Explanation No. 01
3	Lecturer	Reader	"	As per Explanation No. 02
C- Unani College				
1	Professor	Principal	Qualification and experience as per norms of National Commission for Indian System of Medicine	As per Explanation No. 01
2	Reader	Professor	"	As per Explanation No. 01
3	Lecturer	Reader	"	As per Explanation No. 02

Explanation :-

1. The promotion committee for the candidates selected from the Autonomous selection committee -

1	Principal Secretary, Ayush Dept. or representative	President
2	Commissioner, Ayush Dept. or representative	Member
3	Representative of reserved class	Member
4	Senior Most Principal	Member

2. The promotion committee for the candidates selected from the Public Service Commission-

1	Chairperson, MP Public Service Commission or representative	President
2	Principal Secretary, Ayush Dept. or representative	Member
3	Commissioner, Ayush Dept. or representative	Member
4	Representative of Reserved Class	Member